भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 159B/2015-16

1.पुरुषोत्तम महतो 2. उग्रसेन महतो **बनाम** श्रीमति जानकी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18-08-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक 22 दिनांक 04.01.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 159 B/2015–16 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. पुरुषोत्तम महतो 2. उग्रसेन महतो दोनों के पिता स्व0 जयराम महतो ग्राम–छोटा आमदा, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने गृह मरम्मति एवं हल–बैल खरीदने हेतु क्रेता श्रीमति जानकी महतो पति–श्री भुवनेश्वर महतो, ग्राम–उदालखाम, थाना–खरसावाँ जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बड़ा आमदा	82	86	492	0.06 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 0.06 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.60 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.06 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner